क्रम-संख्या-584

रजिस्टर्ड नं० एच० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—43

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 सितम्बर, 1983
भाद्रपद 30, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 2711/सत्रह-वि-1—1(क)-28-1982
लखनऊ, 21 सितम्बर, 1983

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 पर दिनांक 20 सितम्बर, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1983)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कतिपय प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने और उससे आनुषंगिक या सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

(2) यह 19 अक्तूबर, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, सन् 1948 की धारा 10 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,---

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्---

"(1) एक बिक्री-कर अधिकरण होगा जिसमें अध्यक्ष सहित ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर, निम्नलिखित में से नियुक्त करना आवश्यक समझे:---

(क) ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए अर्ह हैं। और

(ख) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर सेवा के ऐसे व्यक्ति जो बिक्री-कर उप-कमिश्नर से अनिम्न पद पर हों या रहे हों :

प्रतिबन्ध यह है कि---

(1) यदि अधिकरण में एक या अधिक ऐसे व्यक्ति हों जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का/के सदस्य हो या हों, तो उसे या उनमें से ज्येष्ठतम को अध्यक्ष नियुक्त किया जायगा;

(2) अधिवक्ताओं में से कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायगा, जब तक कि उसने ऐसी नियुक्ति के पूर्ववर्ती लगातार पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में ऐसे व्यवसाय से होने वाली आय (जिसके अन्तर्गत समस्त अन्य आय नहीं है) पर आय-कर का भुगतान न किया हो।

(1-क) राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए ऐसी अन्य अर्हताएं या शर्तें निर्धारित कर सकती हैं जिन्हें वह उचित समझे ।

(1-ख) उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 के उपबन्ध अधिकरण के प्रत्येक सदस्य पर, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, चाहे उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् नियुक्त किया गया हो उसी प्रकार लागू रहेंगे जिस प्रकार वे किसी अन्य सरकारी सेवक पर लागू होते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व नियुक्त अधिकरण का कोई सदस्य, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस रूप में पूर्ववत् कार्य कर सकता है।"

(ख) उपधारा (2) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा और दिनांक 3 अक्तूबर, 1980 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्---

"स्पष्टीकरण---इस उपधारा के प्रयोजनार्थ बिक्री-कर कमिश्नर से भिन्न प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में, पद 'कोई व्यक्ति' के अन्तर्गत बिक्री-कर कमिश्नर भी है।"

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "अपील" के पश्चात् शब्द "या अन्य प्रार्थना-पत्र" बढ़ा दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्---

"(6) यदि इस धारा के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी है तो ऐसी अपील के प्रस्तुत किये जाने से तीस दिन के भीतर अपीलकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर अधिकरण पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है उसके अधीन देय किसी कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को या देय धनराशि की वापसी को या पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही को या जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसके प्रवर्तन को अपील के निस्तारण होने तक स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि---

(1) कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली के स्थगन के लिये कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि

प्रार्थी ने धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जमा करने के लिये अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम एक तिहाई धनराशि के भुगतान का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो;

(2) अधिकरण विशेष और पर्याप्त कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायगा ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की एक तिहाई धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में खण्ड (1) की अपेक्षा को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है।"

(ङ) उपधारा (10) में,—

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(क) धारा 9 के अधीन अपील सुनने वाले अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण—

(1) दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायगा, यदि ऐसा आदेश उप कमिश्नर (अपील) द्वारा दिया गया हो या विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की धनराशि दस हजार रुपये से अधिक हो;

(2) किसी अन्य मामले में एक सदस्य द्वारा किया जायगा।"

(2) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) धारा 35 के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील की जो अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायगी, सुनवाई और उसका निस्तारण तीन सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायगा।"

धारा 21 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (2) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, अंक और शब्द "31 मार्च, 1982" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1979" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे; और

(ग) उपधारा (5) में, अंक और शब्द "31 मार्च, 1980" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 32 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (3) में, खण्ड (क) में, शब्द "प्रार्थना-पत्र" पश्चात् शब्द "या अपील का ज्ञाप-पत्र" बढ़ा दिये जायेंगे और दिनांक 3 अक्तूबर, 1980 से बढ़ाये समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1979 की धारा 6 का संशोधन

5—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 6 में, उपधारा (1) में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

कतिपय कार्यवाहियों का वैधीकरण

6—किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 10 या धारा 32 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी और सदैव से कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त था जब ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्यवाही की गयी थी।

निरसन और अपवाद

7—(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम और धारा 5 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बक्श सिंह,
सचिव।

No. 2711(2)/XVII-V—1-1(Ka)-28-1982

Dated Lucknow, September 21, 1983

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bikri Kar (Sanshodhan Aur Vaidhikaran) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 20, 1983:

THE UTTAR PRADESH SALES TAX (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1983

[U. P. ACT NO. 16 OF 1983]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948 for certain purposes and to validate certain acts and proceedings and to provide for matters incidental thereto or connected therewith

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 19, 1982.

Amendment of section 10 of U. P. Act no. XV of 1948.

2. In section 10 of the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948 (hereinafter referred to as the principal Act),—

(*a*) *for* sub-section (1), the following sub-sections shall be *substituted* namely :—

"(1) There shall be a Sales Tax Tribunal consisting of such members, including a President, as the State Government may, from time to time, deem it necessary to appoint from amongst—

(*a*) the persons who are qualified to be Judges of the High Court; and

(*b*) the persons belonging to the Uttar Pradesh Sales Tax Service who held or have hold a post not below the rank of Deputy Commissioner of Sales Tax :

Provided that:—

(i) where the Tribunal consists of one or more persons who is or are members of the Uttar Pradesh Higher Judicial Service, then he or the senior-most amongst them shall be appointed President ;

(ii) no person shall be appointed from amongst advocates unless he has paid income tax on income from such profession (exclusive of all other incomes) in each of the five consecutive years preceding such appointment.

(1-A) The State Government may prescribe such other qualifications or conditions for the appointment of the President and other members of the Tribunal as it may deem fit.

(1-B) The provisions of rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules shall continue to apply to every member of the Tribunal including the President, whether appointed before or after the commencement of the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1983, as they apply to any other Government servant :

Provided that a member of the Tribunal including the President appointed before the commencement of the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1983, may continue as such till he attains the age of sixty years."

(*b*) in sub-sectio n(2), the following Explanation shall be inserted and be deemed to have been *inserted* with effect from the third day of October, 1980, nam ely :

"*Explanation*—For the purpose of this sub-section, the expression 'any person', in relation to an order passed by an authority other than the Commissioner of Sales Tax, includes the Commissioner of Sales Tax."

(*c*) in sub-section (3), *after* the word "appeals", the words "or other applications" shall be *inserted*.

(*d*) *for* sub-section (6), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(6) Where an appeal under this section has been filed, the Tribunal may, on the application of the appellant moved within thirty days from the filing of such appeal, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, stay the operation of the order appealed against or the recovery of the disputed amount of any tax, fee or penalty payable, or refund of the amount due, or proceedings for re-assessment, under the order appealed against till the disposal of the appeal :

Provided that—

(i) no application for stay of recovery of any disputed amount of tax, fee or penalty shall be entertained unless the applicant has furnished satisfactory proof of the payment of not less than one-third of such disputed amount in addition to the amount required to be deposited under sub-section (1) of section 9:

(ii) the Tribunal may, for special and adequate reasons to be recorded in writing, waive or relax the requirement of clause (i) regarding payment of one-third of such disputed amount."

(*e*) in sub-section (10),—

(1) *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*a*) An appeal against the order of appellate authority under section 9 shall be heard and disposed of—

(i) by a bench of two members, where such order is passed by a Deputy Commissioner (Appeals) or the amount of tax, fee or penalty in dispute exceeds ten thousand rupees ;

(ii) by a single member in any other case."

(2) *for* clause (*c*), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*c*) An appeal against an order passed under section 35, which shall be filed before the President, shall be heard and disposed of by a bench of three members."

3. In section 21 of the principal Act,— Amendment of section 21.

(*a*) in sub-section (2), in the proviso thereto, *for* the word and figures "March 31, 1982" , the word and figures "December 31, 1982" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted* ;

(*b*) in sub-section (4), *for* the word and figures "December 31, 1979" the word and figures "December 31, 1982" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*; and

(*c*) in sub-section (5), *for* the word and figures "March 31, 1980", the word and figures "December 31, 1982" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*.

4. In section 32 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (*a*), *after* ord "application" the words "or a memorandum of appeal" shall be inserted e deemed to have been *inserted* with effect from the third day of October, Amendment of section 32.

5. In section 6 of the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1979, in ection (i), *for* the words "three years", the words "four years" shall be ituted and be deemed always to have been *substituted*. Amendment of section 6 of U. P. Act no. 33 of 1979.

Validation of certain actions.

6. Notwithstanding anything in any judgment, decree or order of any court or other authority, anything done or any action taken under section 10 or section 32 of the principal Act, shall be deemed to be, and to have always been done or taken under the principal Act as amended by this Act, as if the principal Act as amended by this Act were in force on the date on which such thing was done or action was taken.

Repeal and savings.

7. (1) The Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) (Second) Ordinance 1983, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act and the Act referred to in section 5, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of those Acts as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 227 सा० (विधा०)—(2277)—1983—700 (मेक०)।